

डिकरी व मुकदमें इब्दाई
(आर्डर 20 एल 6-7, जाब्दा दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)
अज अदालत सहायक कलक्टर नदबई
व इजलारा श्री गंगाधर गीना ,आर.ए.एस

मु० उन० कप्तान सिंह बनाम महेन्द्र सिंह वगै०

दावा बाबत 53,188 रा०का० अधिनियम

मुकदमा नंबर 147/2022


यह मुकदमा आज चारते इनफिसाल कतई रु-व-रु- व हाजरी वादी गिनजागिब मुददठ व गिनजागिब मुददालय पेश होकर , हुकम दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

वादी व प्रतिवादी को कुर्राजाल प्रस्ताव दिनांक 08.07.25 के अनुसार खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है। कुर्राजात प्रस्ताव दिनांक 08.07.25 (प्रदर्श-अ) के अनुसार वादी व प्रतिवादी के नाम पृथक से खाता विभाजन कर लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। कुर्राजाल प्रस्ताव दिनांक 08.07.25 प्रदर्श-"अ" इस निर्णय व अन्तिम डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार नदबई रिकॉर्ड में अमल तरमीम करावें। एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/कब्जे काशत /हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजामहत, किरसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से, न करें, न करावें। रहन यदि कोई हो तो संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकवे/हिस्से के विरुद्ध दर्ज किया जावे। लगान आनुपातिक कायम करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

वेज --- गुबलिया --- वावत --- खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह फीसदी सालाना आज की तारीख सं तारीख व सुलयाबी तक --- की अदा करें।

दसबत व मुहर अदालत के आज तारीख कार्रवाई 05.08.25 को जारी की गई।

मुहर



दस्ताखत

(Handwritten Signature)

सहायक कलक्टर
नदबई

| मुददई | रूपया | मुददालय | रूपया | पैसा |
|---|-------|--|-------|------|
| स्टाम्प अराजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजाह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीशनर वावत इजराय हुकम नामा मुतफर्रिक | | स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीशनर वावत इजराय हुकमनामा मुतफर्रिक | | |
| मीजान | | मीजान | | |



1. कप्तान सिंह पुत्र ज्ञानसिंह जाति जाटव निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. नाबालिग मुनेन्द्र सिंह पुत्र कप्तान सिंह संरक्षक पिता खुद कप्तान सिंह पुत्र जाति जाटव निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।

बनाम

— वादीगण

1. महेन्द्र सिंह पुत्र सावदास जाति जाटव निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. मोतीदास पुत्र सावदास जाति जाटव निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. सोहनसिंह पुत्र सावदास जाति जाटव निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. रिकू पुत्र सावदास जाति जाटव निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
5. सुन्दरी पुत्री सावदास जाति जाटव निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
6. उर्मिला पुत्री सावदास जाति जाटव निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
7. नाजो पुत्री सावदास जाति जाटव निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
8. जगनदेई पत्नी सावदास जाति जाटव निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
9. बत्तो पत्नी सावदास जाति जाटव निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
10. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया जरिए शाखा प्रबंधक शाखा नदबई।
- 11.
12. राज. सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।
13. सब रजिस्ट्रार नदबई।

5/8/25

प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

दावा सं.
147 / 2022

न्यायालय सहायक
वीटासी

1. कप्तान
भरतपुर
2. नाब
इ

क्रमांक

1

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी:- श्री गंगाधर मीना (R.A.S.)

दावा सं.
147/2022

रजू दिनांक
28.07.2022

अन्तिम पर्चा डिक्री दिनांक
05.08.2025

उनवान

1. कप्तान सिंह पुत्र ज्ञानसिंह जाति जाटव निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. नाबालिग मुनेन्द्र सिंह पुत्र कप्तान सिंह संरक्षक पिता खुद कप्तान सिंह पुत्र ज्ञानसिंह जाति जाटव निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।

- वादीगण

बनाम

1. महेन्द्र सिंह पुत्र सावदास जाति जाटव निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. मोतीदास पुत्र सावदास जाति जाटव निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. सोहनसिंह पुत्र सावदास जाति जाटव निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. रिकू पुत्र सावदास जाति जाटव निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
5. सुन्दरी पुत्री सावदास जाति जाटव निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
6. उर्मिला पुत्री सावदास जाति जाटव निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
7. नाजो पुत्री सावदास जाति जाटव निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
8. जगनदेई पत्नी सावदास जाति जाटव निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
9. बत्तो पत्नी सावदास जाति जाटव निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
10. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया जरिए शाखा प्रबंधक शाखा नदबई।
11. नदबई।
12. राज. सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।
13. सब रजिस्ट्रार नदबई।

प्रतिवादीगण

5/8/25

उपस्थित श्री सुरेश सिंह एड.(वादी की ओर से)

दावा- 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

-: अन्तिम पर्चा डिक्री :-

वादी एवं प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्तागण की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 05.08.2025 को श्री गंगाधर मीना सहायक कलक्टर नदबई के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाता है और अन्तिम पर्चा डिक्री दी जाती है :-

वादीगण के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वाद का अन्तिम निर्णय किया जाता है एवं विवादित हाल आराजी खसरा संख्या 2051 रकबा 0.63 हैक्ट0,1413 रकबा 0.35 हैक्ट0 वाके ग्राम कबई प्रथम तहसील नदबई में स्थित है। जो कि वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी का रकबा है। प्रतिवादीगण तामील बाबजूद भी न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं हुए अतः प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। दावा में प्रारंभिक डिक्री दिनांक 14.05.2025 को जारी की गई। जिस पर तहसीलदार नदबई के पत्रांक 3361 दिनांक 08.07.25 द्वारा कुरा विभाजन प्रस्ताव भिजवाए गए।

वादी व प्रतिवादी को कुराजात प्रस्ताव दिनांक 08.07.25 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। कुराजात प्रस्ताव दिनांक 08.07.25 (प्रदर्श-अ) के अनुसार वादी व प्रतिवादी के नाम पृथक से खाता विभाजन कर लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। कुराजात प्रस्ताव दिनांक 08.07.25 प्रदर्श-"अ" इस निर्णय व अन्तिम डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार नदबई रिकॉर्ड में अमल तरमीम करावें। एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/कब्जे काश्त /हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजामहत, किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से, न करें, न करावें। रहन यदि कोई हो तो संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकवे/हिस्से के विरुद्ध दर्ज किया जावे। लगान आनुपातिक कायम करें।

यह अन्तिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 05.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



5/8/25
(गंगाधर मीना सहायक कलक्टर नदबई)